

**परिपत्र
CIRCULAR**

**निवेश मास्टर परिपत्र में संशोधन
AMENDMENTS TO INVESTMENTS MASTER CIRCULAR**

प्राधिकरण को बीमा कंपनियों से निवेश – मास्टर परिपत्र/परिपत्रों के कुछ उपबंधों से छूट देने तथा अनुमोदित निवेश के रूप में ईक्विटी शेयरों में निवेश के वर्गीकरण के लिए मानदंडों में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार करने के उपरांत, प्राधिकरण इसके द्वारा निवेश मास्टर परिपत्र / परिपत्रों में निम्नलिखित संशोधनों का अनुमोदन करता है।

1. ईक्विटी विनियम व्यापारित निधियों के वर्गीकरण के लिए लाभांश मानदंड

संघटक स्टाकों के कुछ प्रतिशत को अनुमति देने के द्वारा जिनके लिए 'अनुमोदित निवेश' के रूप में ईक्विटी ईटीएफ में निवेश का वर्गीकरण करने हेतु लाभांश मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, उक्त मानदंड में छूट देने के लिए निवेश - मास्टर परिपत्र के पैरा 1.3.क.3 को निम्नलिखित आशोधित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है।

"1.3.क.3 "अनुमोदित निवेश" के भाग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए ईक्विटी समुदाय में कम से कम 85% प्रतिभूतियाँ आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 3(ए)(5) के अनुसार लाभांश वितरण मानदंडों के संबंध में अनुपालनकर्ता होंगी।"

2. म्युचुअल निधियों में निवेश

जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू एक्सपोजर सीमाओं का सुयोजन साधारण बीमाकर्ताओं की एक्सपोजर सीमाओं के साथ करने के लिए निवेश – मास्टर परिपत्र के पैरा सं. 1.3.ग.7 को निम्नलिखित आशोधित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1.3.ग.7. श्रेष्ठ (गिल्ट)/ जी सेक/ तरल/ कर्ज/ आय म्युचुअल निधियों (सबको एकसाथ लेते हुए) में निवेश किसी भी समय निम्नानुसार होगा:

| आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 2(i) के अनुसार "निवेश आस्तियाँ" | निवेश आस्तियों का प्रतिशत |
|---|----------------------------------|
| रु. 50,000 करोड़ से कम | 10% |
| रु. 50,000 करोड़ से अधिक और रु. 2,50,000 करोड़ से कम | 7% |
| रु. 2,50,000 करोड़ से अधिक | 5% |

3. बैंकों के द्वारा दीर्घावधि बांड – बुनियादी संरचना और वहनीय आवास का वित्तपोषण

निवेश मास्टर परिपत्र का बिन्दु सं. 1.6.ग.1 हटाया जाता है ताकि बुनियादी संरचना और वहनीय आवास के वित्तपोषण के लिए बैंकों के द्वारा दीर्घावधि बांडों में एक्सपोजर बीएफएसआई में

एक्सपोजर का भाग नहीं होगा। तथापि, पैरा 1.6.ग.2 और 1.6.ग.3 में निर्दिष्ट शर्तों का लागू होना जारी रहेगा।

4. “अतिरिक्त स्तर I (बेसल III अनुपालनकर्ता) बेमीयादी बांडों” में निवेश

निवेश – मास्टर परिपत्र के पैरा सं. 1.6.घ.3, 1.6.घ.4 और 1.6.घ.5 को निम्नलिखित आशोधित पैराओं से प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि लाभांश की घोषणा न करने के बावजूद बीमाकर्ता बैंकों में निवेश कर सकें।

“1.6.घ.3: किसी विशिष्ट बैंक में धारित एटी1 बांडों का कुल मूल्य, किसी भी समय, उस विशिष्ट बैंक के कुल बकाया एटी1 बांडों के 10% से अधिक नहीं होगा।

1.6.घ.4: जारीकर्ता बैंक के पूँजी संरक्षण बफ़र सहित, सामान्य ईक्विटी स्तर। पूँजी (सीईटी) ऐसे बैंक के एटी1 बांडों में निवेश के समय उक्त बैंक की कुल जोखिम-भारित आस्तियों के 9% से अधिक होगी।

1.6.घ.5: क. जारीकर्ता बैंक को पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में एटी1 बांडों सहित, अपने कर्ज लिखतों पर किसी कूपन भुगतान को निरस्त/आस्थगित नहीं करना चाहिए।

ख. जारीकर्ता बैंक को पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए, कर के बाद निवल लाभ सूचित करना चाहिए तथा उसके पास नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार एक सकारात्मक उपचित लाभ होना चाहिए।

ग. जारीकर्ता बैंक को अपने नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित रूप में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में कोई विचलन सूचित नहीं करना चाहिए।”

5. कर्ज लिखतों तथा आईएनवीआईटी / आरईआईटी के यूनितों के लिए अलग सीमाएँ

(i) यूनितों में निवेशों के लिए अलग सीमाएँ तथा (ii) एकल आईएनवीआईटी/ आरईआईटी स्तर पर कर्ज लिखतों के लिए कर्ज लिखत और उच्चतर सीमाएँ उपलब्ध कराने के लिए परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/098/04/2021 दिनांक 22 अप्रैल 2021 में पैरा (क) से पहले निम्नलिखित अतिरिक्त पैराग्राफ सम्मिलित किये जाते हैं।

1. कर्ज लिखत सूचीबद्ध आईएनवीआईटीएस/आरईआईटीएस द्वारा जारी किये जाएँगे तथा निवेश के समय “एएए” रेटिंग से युक्त होंगे।

2. आईएनवीआईटी/आरईआईटी में सार्वजनिक शेयरधारिता निवेश के समय आईएनवीआईटी / आरईआईटी के कुल बकाया यूनितों के 30% से कम नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/098/04/2021 दिनांक 22 अप्रैल 2021 के मौजूदा बिन्दु सं. (ग) और (घ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

ग.) कोई भी बीमाकर्ता एक एकल आईएनवीआईटी/आरईआईटी में बकाया कर्ज लिखतों (वर्तमान निर्गम सहित) के 20% से अधिक निवेश नहीं करेगा।

घ.1) आरईआईटीएस के कर्ज लिखतों में निवेश किसी भी समय बीमाकर्ता के कुल निधि आकार के 3% से अधिक नहीं होगा। घ.2) आईएनवीआईटीएस के कर्ज लिखतों में निवेश बुनियादी संरचना क्षेत्र के लिए लागू क्षेत्रवार सीमाओं के अधीन होगा।

6. "अनुमोदित निवेश" के अंतर्गत ईक्विटी निवेश के लिए लाभांश के मानदंड

"अनुमोदित निवेश" के भाग के रूप में अधिमान शेयरों और ईक्विटी शेयरों में निवेशों का वर्गीकरण करने के लिए परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/51/03/ 2022 दिनांक 24 मार्च 2022 के अंतर्गत दी गई छूट यदि ऐसे शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश "तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम 2 निरंतर वर्षों के लिए" (जैसा कि आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 3(क)(4) और 3(क)(5) के अंतर्गत अपेक्षित है) के स्थान पर "तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों के लिए" 30 सितंबर 2022 से आगे जारी रहेगी।

The Authority received few representations from insurance companies to relax/amend certain provisions of Investment – Master Circular / Circulars and criteria for classification of investment in equity shares as approved investment. After due consideration of the representations, the Authority hereby approves the following amendments to the Investment Master Circular / Circulars.

1. DIVIDEND CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF EQUITY EXCHANGE TRADED FUNDS

Para No 1.3.a.3 of Investments - Master Circular is substituted with the following modified para to relax the norm by permitting certain percentage of constituent stocks which need not fulfil the dividend criteria to classify investment in Equity ETF as "Approved Investment".

"1.3.a.3. At least 85% securities in the equity basket shall be compliant with respect to dividend distribution norms as per Regulation 3 (A)(5) of IRDAI (Investment) ,2016 to qualify as a part of "Approved Investment".

2. INVESTMENT IN MUTUAL FUNDS

Para No 1.3.c.7 of Investments - Master Circular shall be replaced with the following modified para to align the exposure limits applicable to Life Insurers with that of General Insurers:

1.3.c.7- The investment in Gilt / G Sec / Liquid /Debt/ Income Mutual Funds (all taken together) at any point of time, shall be as under:

| "Investment Assets" as per Regulation 2(i) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 | Percentage to Investment Assets |
|---|--|
| Less than Rs. 50,000 Crores | 10% |
| More than Rs. 50,000 Crores and Less than Rs.,2,50,000 Crores | 7% |
| More than Rs. 2,50,000 Crores | 5% |

3. LONG TERM BONDS BY BANKS - FINANCING OF INFRASTRUCTURE AND AFFRODABLE HOUSING

Point no: 1.6.c.1 of the Investments - Master Circular is deleted so that the exposure to Long Term Bonds by Banks for financing of Infrastructure and affordable housing shall not

be part of exposure to BFSI. However, conditions indicated in Para 1.6.c.2 and 1.6.c.3 shall continue to apply.

4. INVESTMENT IN “ADDITIONAL TIER I (BASEL III COMPLIANT) PERPETUAL BONDS

Para Nos 1.6.d.3, 1.6.d.4 and 1.6.d.5 of Investments - Master Circular are substituted with the following modified paras to enable insurers to invest in banks despite non declaration of dividend.

“1.6.d.3: The aggregate value of AT1 Bonds held in a particular Bank, at any point of time, shall not exceed 10% of the total outstanding AT1 Bonds, of that particular Bank.

1.6.d.4: The Common Equity Tier I Capital (CET) including Capital Conservation Buffer, of the issuer Bank shall be more than 9% of the total risk weighted assets of the bank at the time of investment in AT1 Bonds of such Bank.

1.6.d.5: a. The issuer bank should not have cancelled/deferred any coupon payment on its debt instruments including AT1 bonds in the preceding three financial years.

b. The issuer bank shall have reported net profit after tax for the preceding two years and having a positive accumulated profit as per the latest audited balance sheet.

c. The issuer bank has not reported any divergence in the asset classification and provisioning, identified by RBI, in its latest audited balance sheet”

5. SEPARATE LIMITS FOR DEBT INSTRUMENTS AND UNITS OF INVIT / REIT

To provide (i) separate limits for investments in Units and (ii) Debt instruments and higher limits for debt instruments at single InvIT/REIT level, the following additional paras are included in Cir no: IRDAI/F&I/CIR/INV/098/04/2021 Dt. 22nd April, 2021 before para (a).

1. The debt Instruments shall be issued by listed InvITs/REITs and rated “AAA” at the time of Investment.

2. The public holding in the InvIT/REIT shall not be less than 30% of the total outstanding units of the InvIT/REIT at the time of Investment.

Further, the existing point no. (c) and (d) of Cir no: IRDAI/F&I/CIR/INV/098/04/2021 Dt. 22nd April, 2021 shall be substituted with the following:

c.) No Insurer shall invest more than 20% of the outstanding debt instruments (including the current issue) in a single InvIT/REIT.

d.1) The investment in Debt Instruments of REITs shall not exceed 3% of total fund size of the insurer at any point of time. d.2) The investment in Debt Instruments of InvITs shall be subject to sectoral limits applicable to Infrastructure Sector.

6. DIVIDEND CRITERIA FOR EQUITY INVESTMENT UNDER “APPROVED INVESTMENT”

The relaxation provided under circular no: IRDAI/F&I/CIR/INV/51/03/2022 Dt. 24th March, 2022 to classify investments in Preference Shares and Equity Shares as part of “Approved Investment” if dividend is paid on such Shares “for at least 2 years out of 3 consecutive years immediately preceding” instead of “for at least 2 consecutive years immediately preceding” (as required under Regulation 3(a)(4) and 3(a)(5) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016) shall continue beyond 30th September, 2022.

हस्ता./- / Sd/-

(अम्मू वेंकटरमणा / Ammu Venkataramana)

महाप्रबंधक (वित्त और निवेश) / General Manager (Finance & Investments)